



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-09072026-274314
CG-WB-E-09072026-274314

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3535]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 3535]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 16, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 8 जुलाई, 2026

का.आ. 3697(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य के नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
(1)	(2)	(3)
1)	बिमलागढ़- बरसुआं दोहरीकरण (21.13 किमी.)	ओडिशा

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/बीयूएफ-बीएक्सएफ दोहरीकरण/ एसआरपी/1]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[South Eastern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Kolkata, the 8th July, 2026

S.O. 3697(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. no.	Name of Project	State/Union Territory
(1)	(2)	(3)
1)	Bimlagarh- Barsuan doubling (21.13Km.)	Odisha

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/BUF-BXF doubling/SRP/1]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin.Officer(Con)